**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.02.2018**

**बजट 2018–19**

आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018–19 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट मुख्य रूप से किसान, गरीब व मजदूर की समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, गुणवत्तायुक्त शालेय शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों की खुशहाली, युवा शक्ति के संधान, गावों के विकास, अधोसंरचना तथा सुशासन की उत्तरोत्तर प्रगति पर केन्द्रित है।

**बजट एक नजर में** **(राशि रु. करोड़ में)**

| **क्र.** | **मद** | **2017–18 (बजट अनुमान)** | **2018–19 (बजट अनुमान)** | **प्रतिशत वृद्धि** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | कुल आय | 75,952 | 83,096 | **9.4** |
| **2.** | कुल व्यय | 76,032 | 83,179 | **9.4** |
| **3.** | बजट घाटा/आधिक्य | -736 | 160 | |
| | अ) चालू वर्ष का घाटा | -80 | -83 | |
| | ब) पूर्व वर्ष का घाटा/आधिक्य | -656 | 243 | |
| **4.** | राजस्व व्यय | 61,313 | 68,423 | **11.6** |
| **5.** | पूंजीगत व्यय | 14,454 | 14,454 | **0** |
| **6.** | राजस्व आधिक्य | 4,781 | 4,445 | |
| **7.** | सकल वित्तीय घाटा | 9,647 | 9,997 | |

1. **आर्थिक स्थिति**

- **वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमान अनुसार स्थिर भाव पर राज्य का जीएसडीपी विकास दर 6.65 प्रतिशत होना अनुमानित**। इसी अवधि में अखिल भारतीय जीडीपी विकास दर 6.5 प्रतिशत होना अनुमानित।
- **वर्ष 2017–18 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 2.89 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 5.84 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 9.46 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित**। इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में 2.13 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 4.37 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 8.28 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित।
- **अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहना अनुमानित।** कृषि क्षेत्र में अल्पवर्षा के बावजूद वृद्धि का सकारात्मक रूझान।
- **राज्य का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर 2016–17 में 2 लाख 62 हजार 263 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में 2 लाख 91 हजार 681 करोड़ होना अनुमानित है।**
- वर्ष 2017–18 में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 22.16 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 41.01 प्रतिशत, तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 36.83 प्रतिशत अनुमानित है।
- **वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय 92 हजार 35 रु. संभावित है, जो गत् वर्ष की तुलना में 9.22 प्रतिशत अधिक है।**

2. **किसानों एवं कृषि क्षेत्र हेतु प्रावधान**

2.1 **वर्ष 2018–19 में कृषि बजट हेतु 13 हजार 480 करोड़ प्रावधान जो गत् वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक।**

2.2 **कृषि विभाग के बजट में पूर्व वर्ष से 95 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 4 हजार 452 करोड़ का प्रावधान जिसमें धान बोनस प्रदाय करने के लिये 2 हजार 107 करोड़ का प्रावधान।**

2.3 ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिये 184 करोड़।

2.4 प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम हेतु 136 करोड़।

2.5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत् सामान्य एवं हरित क्रांति घटकों हेतु कुल 365 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना के लिये 93 करोड़, गन्ना कृषकों को बोनस हेतु 40 करोड़, तथा शाकम्भरी योजना हेतु 40 करोड़ का प्रावधान। नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई के लिये 93 करोड़। एकीकृत बागवानी विकास मिशन हेतु 130 करोड़।

2.6 **रियायती विद्युत प्रदाय हेतु कृषक ज्योति योजना में 2 हजार 975 करोड़ का प्रावधान।**

2.7 सौर सुजला योजना के लिये बजट में 631 करोड़।

2.8 **जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद व महासमुंद में 6 नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना**

2.9 **कृषि स्नातकों को पेशेवर कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ''चलो गांव की ओर'' योजना।**

2.10 20 पशु औषधालयों के पशु चिकित्सालयों में उन्नयन तथा 25 नवीन औषधालयों की स्थापना हेतु प्रावधान। 10 नवीन पशु औषधालय भवनों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया है।

2.11 108 संजीवनी एक्सप्रेस की तर्ज पर पशु रेस्क्यु वाहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जायेगी।

2.12 मत्स्य पालन हेतु प्रदेश के तालाबों के वैज्ञानिक तरीके से दोहन हेतु मैपिंग के लिये प्रावधान है।

2.13 बैंकों के संविलियन संबंधी योजना में 5 करोड़।

2.14 प्राथमिक कृषि साख समितियों को कम्प्यूटराईज्ड करने के लिये 4 करोड़ का प्रावधान।

2.15 सहकारी शक्कर कारखानों के लिये 75 करोड़ ऋण अग्रिम का प्रावधान।

2.16 **बजट में सिंचाई योजनाओं के लिए 2 हजार 518 करोड़ का प्रावधान है। इस राशि में से वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए 946 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अरपा भैंसाझार परियोजना हेतु 285 करोड़, महानदी परियोजना**

**हेतु 255 करोड़ एवं सोंढूर जलाशय के लिए 90 करोड़ का प्रावधान है।** लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 655 करोड़ 50 लाख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 86 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है। रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के उत्पादन हेतु स्थापित जल सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिये 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

2.17 **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत वास्तविक सिंचाई में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा आईएसबीआईजी ISBIG (Incentivization Scheme for Bridging Irrigation Gap) योजना लागू की गयी है। जिसमें निर्माणाधीन 3 परियोजनाएं, महानदी परियोजना, तांदुला परियोजना एवं कोडार परियोजना सहित अन्य 6 नवीन परियोजनाओं मटियामोती, सरोदा, छीरपानी, पेंड्रावन, कुम्हारी एवं खरखरा जलाशयों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत फील्ड चैनल का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई, नहर सुधार, भू–जल उपयोग आदि कार्य शामिल हैं। योजना हेतु 245 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

3. **अन्त्योदय से गरीब कल्याण**

3.1 **मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत् 2 हजार 770 करोड़ का प्रावधान है।** आदिवासी क्षेत्रों में चना वितरण के लिये 450 करोड़, निःशुल्क नमक वितरण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। रियायती दर पर शक्कर वितरण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है।

4. **स्वास्थ्य सेवायें**

4.1 **वरिष्ठ नागरिकों एवं पत्रकारों के लिये 30 हजार तक का अतिरिक्त बीमा कवर।** मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत् 131 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु 315 करोड़ का प्रावधान है।

4.2 **स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 सामुदायिक, 10 प्राथमिक एवं 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान है। 4 जिला अस्पतालों बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर एवं सूरजपुर को आईपीएचएस मापदंड के अनुरूप उन्नयन करने हेतु अतिरिक्त 268 पदों के सृजन के लिये 9 करोड़ का प्रावधान है। सांरगढ, जिला रायगढ़ में 100 बिस्तर सिविल अस्पताल तथा देवभोग**

**में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है।** राज्य के 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए रूपये 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4.3 **शासकीय अस्पतालों में ईलाज की सुविधा को बढ़ाने के लिये राज्य के जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलाजी एवं रेडियोलाजी संबंधी समस्त जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। इस हेतु 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।**

4.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत् 1 हजार 11 करोड़, संजीवनी कोष हेतु 56 करोड़ तथा मितानिन कल्याण निधि हेतु 101 करोड़ का प्रावधान है।

4.5 **वर्तमान में मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा देय प्रोत्साहन राशि पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है। अब इसमें 25 प्रतिशत की और वृद्धि करते हुए राज्य शासन की ओर से कुल 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है जिससे 70 हजार मितानिनों की वर्तमान मासिक आय में 400 से 1 हजार रु. तक की वृद्धि होगी।**

4.6 **मेकाहारा रायपुर में 100 अतिरिक्त स्टॉफ नर्स के पदों के लिये प्रावधान है। मरीजों के रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से संधारण करने के लिये प्रावधान किया गया है। मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पैथोलाजी, ब्लड बैंक एवं कम्पोनेंट सेंटर हेतु 42 पदों का प्रावधान है।**

4.7 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से सुसज्जित करने के लिये 68 करोड़ 62 लाख तथा निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

4.8 15 लाख बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली योजना अंतर्गत् बजट में 363 करोड़ प्रावधान।

4.9 **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ''सौभाग्य'' अंतर्गत विद्युत कनेक्शन से वंचित सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन। विद्युत वितरण कम्पनी**

**द्वारा ग्रिड से 4 लाख 50 हजार एवं क्रेडा के माध्यम से 44 हजार 151 घरों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किया जायेगा। कुल 833 करोड़ लागत की योजना के राज्यांश हेतु 85 करोड़ प्रावधान है।**

**5. श्रमिकों एवं निराश्रितों हेतु**

5.1 **आम आदमी बीमा योजना एवं अटल खेतीहर बीमा योजना में बीमित सदस्यों में से 18 से 50 वर्ष आयु के पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है। इससे सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु पर 30 हजार के स्थान पर 2 लाख बीमा कवर एवं दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75 हजार के स्थान पर 4 लाख का बढ़ा हुआ बीमा कवर प्राप्त होगा। 10 लाख परिवारों को 1 मई 2018 से बीमा कवर का लाभ दिया जायेगा।**

5.2 **श्रमिक कल्याण के लिये असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल के बजट को पूर्व वर्ष 19 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर इस बजट में 29 करोड़ 25 लाख किया गया है।** असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल हेतु 10 करोड़ तथा ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हम्माल कल्याण मण्डल के लिये 10 करोड़ का प्रावधान है।

5.3 **कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की नवीन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इससे श्रमिकों को उपचार हेतु तत्काल राशि की व्यवस्था करने की चिंता से मुक्ति मिलेगी तथा वे आसानी से अपना उपचार करा सकेंगे।**

5.4 **सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्ध, विधवा, निराश्रितों की पेंशन योजनाओं से 16 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2018–19 से ''मुख्यमंत्री पेंशन योजना'' तैयार कर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 में पाये अति वंचित अतिरिक्त 3 लाख वृद्धजनों तथा विधवा/परित्यक्ताओं को भी पेंशन देना प्रारम्भ किया जायेगा।**

5.5 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 181 करोड़, सुखद सहारा योजना में 104 करोड़, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 60 करोड तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 360 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में 46 करोड़ का प्रावधान है।

5.6 **हाथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 9 करोड़ 94 लाख का प्रावधान किया गया है। सरगुजा में मिनी अर्बन हाट की स्थापना तथा हाथकरघा क्षेत्र में व्यावसायिक डिजाईनरों के सहयोग से बाजारोन्मुख नये डिजाईनों के विकास हेतु प्रावधान किया गया है।**

5.7 **प्रदेश के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त बुनकरों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु नयी योजना लागू की जायेगी।** ''मिट्टी से रेशम तक'' कोसा परियोजना प्रारंभ करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

6. **नारी शक्ति का आव्हान**

6.1 **आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की गई है।** यह सहायता अब बच्चों के लिए 6 रूपये के स्थान पर 8 रूपये, गर्भवती महिलाओं को 7 रूपये के स्थान पर 9 रूपये 50 पैसे तथा किशोरी बालिकाओं के लिए 5 रूपये के स्थान पर 9 रूपये 50 पैसे की दर से उपलब्ध कराया जायेगी। योजना के लिये 735 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6.2 **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण की योजनाओं में योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय राशि 2 हजार से बढ़ाकर 2 हजार 500 एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय राशि 2 हजार 250 से बढ़ाकर 2 हजार 750 करने का निर्णय लिया है। एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा।**

6.3 **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवा पूरी होने पर शासन द्वारा कार्यकर्ताओं को 50 हजार तथा सहायिकाओं को 25 हजार एकमुश्त राशि दी जायेगी।**

6.4 **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत् 100 करोड़ का प्रावधान है।**

6.5 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत् 525 करोड़ 92 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत् 42 करोड़ 95 लाख, महतारी जतन योजनांतर्गत् 25

करोड़, नोनी सुरक्षा योजना में 30 करोड़ तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 13 करोड़ तथा सबला योजना में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6.5 **ग्रामीण बालिकाओं को स्वच्छ सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ शुचिता योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब योजना के कवरेज को बढ़ाते हुए पर्याप्त बालिकाओं की दर्ज संख्या वाले सभी महाविद्यालयों, हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में क्रियान्वित किया जायेगा। योजना के विस्तार से 10 लाख बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा।**

## 7. गुणवत्तायुक्त शालेय शिक्षा – नये भारत का उद्‌गम

7.1 स्कूल शिक्षा के लिये बजट प्रावधान 12 हजार 472 करोड़ है जो कि इस बजट में किसी विभाग को आवंटित सबसे बड़ी राशि है।

7.2 **बजट में 129 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में एवं 130 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान है। 40 प्राथमिक शाला, 25 माध्यमिक शाला, 100 हाईस्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 34 करोड़ का प्रावधान है।** शालाओं में स्वच्छता सामग्रियों के क्रय हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7.3 वर्चुअल एजुकेशन परियोजना के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों को ई–शिक्षा प्रदान करने के लिए *''ई–विद्या''* सॉफ्टवेयर एवं शैक्षणिक सामग्री तैयार करने का कार्य किया जाएगा। इस हेतु 5 करोड़ 47 लाख का प्रावधान है।

7.4 सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1 हजार 500 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 674 करोड़, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए 599 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय के लिए 110 करोड़ तथा शिक्षाकर्मियों के वेतन हेतु 3 हजार 500 करोड़ का प्रावधान है। एकीकृत अम्ब्रेला योजना अंतर्गत् 93 करोड़ 45 लाख का प्रावधान है। भवनों के अनुरक्षण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय शालाओं में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ 88 लाख का प्रावधान है।

## 8. विकास की नई क्रांति – अनुसूचित जाति एवं जनजाति

8.1 बजट के संसाधनों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति घटकों हेतु कुल 20 हजार 645 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

**8.2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये घोषित लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर बोनस देने का निर्णय लिया है। साल बीज पर 12 रु. पर 1 रु., हर्रा पर 8 रु. पर 3 रु., ईमली पर 18 रु. पर 7 रु., महुआ बीज पर 20 रु. पर 2 रु., कोसमी लाख पर 167 रु. पर 33 रु., चिरोंजी गुठली पर 93 रु. पर 12 रु. बोनस राशि संग्रहण दर के साथ प्रदान की जायेगी। इससे 14 लाख परिवारों से जुड़े संग्रहणकर्ता लाभान्वित होंगे।**

**8.3 प्रदेश में भवन विहीन सभी 663 छात्रावास–आश्रमभवनों के भवन निर्माण की एक महती योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 77 भवन नाबार्ड पोषित योजनाओं से, 146 भवन डी.एम.एफ. के माध्यम से तथा शेष 410 भवनों का निर्माण बाह्य सहायित योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा। इस हेतु बजट में 130 करोड़ का प्रावधान है। इससे सभी आश्रम छात्रावासों को सुविधायुक्त भवन प्राप्त हो जायेंगे।**

8.4 ''मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना'' का विस्तार कर प्रयास विद्यालय अंबिकापुर, बस्तर तथा दुर्ग में कक्षा 9वीं तथा कांकेर में कक्षा 11वीं प्रारंभ की जाएगी। कोरबा एवं जशपुर में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है। प्रयास विद्यालयों के आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को लेपटॉप प्रदाय किया जाएगा।

**8.5 अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक दर को 1 हजार 100 से बढ़ाकर 2 हजार 500 करने हेतु 12 करोड़ का प्रावधान है। इससे 2 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा।**

**8.6 कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के आवासीय छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु इन्हें ''हमर छत्तीसगढ़'' योजना में शामिल करते हुए शैक्षणिक भ्रमण का लाभ प्रदाय किया जाएगा।** छात्रों के नैसर्गिक खेल प्रतिभा को विकसित करने हेतु रायपुर एवं

बिलासपुर में पिछड़ा वर्ग बालक तथा भानपुरी जिला–बस्तर में अनुसूचित जनजाति कन्या 100 सीटर क्रीडा परिसर स्थापित किये जायेंगे।

8.7 बगीचा, सुकमा एवं डोंडीलोहारा में 50 सीटर कन्या छात्रावास तथा बगीचा एवं बतौली में बालक छात्रावास स्थापित किया जावेगा।

8.8 **जगदलपुर में अमर शहीद गुण्डाधूर की स्मृति में एक स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण करने हेतु 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।**

8.9 विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना में 266 करोड़, राज्य छात्रवृत्तियों हेतु 170 करोड़, अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत् 162 करोड़ तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास हेतु 270 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.10 सरगुजा–जशपुर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तीनों हेतु 35 करोड़ 50 लाख का प्रावधान एवं कुल 106 करोड़ 50 लाख प्रावधान है। ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु 64 करोड़ का प्रावधान है।

## 9. युवा शक्ति का संधान

9.1 युवाओं के लिये बजट में 3 हजार 894 करोड़ का प्रावधान है।

9.2 **इस बजट में 7 नवीन आईटीआई भवन निर्माण सीतापुर, अंबागढ़ चौकी, नरहरपुर, बकावण्ड, नारायणपुर, भैरमगढ़ एवं कोण्टा हेतु 4 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया गया है।** 17 आईटीआई में अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने तथा 30 आईटीआई में मशीन उपकरण के लिये 12 करोड़ का प्रावधान है। 18 पॉलिटेकनिक संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 14 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है।

9.3 **शासकीय पॉलिटेक्निक भाटापारा एवं सुकमा में 50 सीटर कन्या छात्रावास एवं अधीक्षिका सह चौकीदार आवास निर्माण तथा शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में बालक छात्रावास निर्माण हेतु कुल 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।**

9.4 राज्य के 17 हजार छात्र–छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के अंतर्गत् किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना

प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर को 25 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। सिपेट के एकेडमिक भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

9.5 **नवीन योजना मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसमें स्किल्ड युवाओं में से चयनित युवाओं को स्वरोजगार हेतु अपना व्यवसाय प्रारम्भ स्थापित करने के लिये ऋण सहायता के रूप में अनुदान दिया जायेगा।**

9.6 **उच्च शिक्षा के अधिकतम विस्तार हेतु इस बजट में 30 और नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान शामिल किया गया है। ये महाविद्यालय सरगुजा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय लखनपुर एवं मैनपाट, गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड के गोहरापदर, जशपुर जिले के विकासखण्ड पत्थलगांव में बागबहार, जशपुर विकासखण्ड में मनोरा, सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखण्ड में चांदनी–बिहारपुर, कोरबा जिले के विकासखण्ड पोड़ी–उपरोड़ा में जटगा, कांकेर के विकासखण्ड मुख्यालय नरहरपुर, कोरिया जिले के विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ में केल्हारी, राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड मानपुर में औंधी, राजनांदगांव विकासखण्ड में ठेलकाडीह, कबीरधाम जिले के विकासखण्ड बोड़ला में झलमला, पण्डरिया विकासखण्ड के कुईकुकदूर, महासमुंद जिले के विकासखण्ड पिथौरा में पिरदा, बागबाहरा विकासखण्ड में तेंदूकोना, महासमुंद विकासखण्ड मैं चिरको, दुर्ग जिले में जामुल, साजा विकासखण्ड में परपोड़ी, दुर्ग विकासखण्ड के मचांदूर, धमतरी जिले में कुरूद विकासखण्ड के सिलौटी, रायपुर जिले में भाटागांव, गुढ़ियारी एवं आरंग विकासखण्ड में समोदा, बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में बिलाईगढ़ विकासखण्ड के सोनाखान, भाटापारा विकासखण्ड के मोपका–निपनिया एवं पलारी विकासखण्ड के वटगन, बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड में माहूद–बी, जांजगीर–चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखण्ड में बिर्रा, सक्ती विकासखण्ड में नगरदा एवं मुंगेली जिले के पथरिया विकासखण्ड में अमोरा में खोले जायेंगे।**

9.7 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय योजना'' जिसके अंतर्गत पीजी कॉलेज जगदलपुर, पीजी कॉलेज कांकेर, एनईएस महाविद्यालय जशपुर, पीजी साईंस कॉलेज

रायपुर, पीजी कॉलेज धमतरी, पीजी कॉलेज राजनांदगांव, कन्या पीजी कॉलेज बिलासपुर, पीजी कॉलेज कवर्धा, पीजी कॉलेज कोरबा एवं पीजी कॉलेज अंबिकापुर के 11 कॉलेजों के आधुनिकीकरण हेतु 21 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। योजना में अधोसंरचना उन्नयन एवं उपकरण प्रदाय के कार्य किये जायेंगे।

9.8 **वर्ष 2017–18 में प्रारंभ किये गये सरिया, चंद्रपुर, बीरगांव एवं खरोरा तथा शासकीय कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर हेतु नवीन भवन निर्माण तथा 100 शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैम्प निर्माण हेतु 7 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।**

9.9 उच्च शिक्षा के अवसरों में विस्तार के लिए 15 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उन्नयित किया जाएगा। 35 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के तथा 35 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। 45 शासकीय महाविद्यालयों में सेटेलाईट आधारित क्लास रूम की स्थापना की जावेगी।

9.10 बजट में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान *रूसा* अंतर्गत 112 करोड़, महाविद्यालयों को पोषण अनुदान 43 करोड़, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर हेतु 31 करोड़, इंदिराकला विश्वविद्यालय खैरागढ़ हेतु 18 करोड़, सरगुजा विश्वविद्यालय हेतु 7 करोड़, बस्तर विश्वविद्यालय हेतु 9 करोड़ 25 लाख, दुर्ग विश्वविद्यालय हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

9.11 **खेलों में बच्चों एवं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 60 मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सरगुजा में खेल अकादमी तथा रायपुर में एथलेटिक्स अकादमी स्थापना करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।**

9.12 संस्कृति विभाग के अंतर्गत मुक्तांगन संग्रहालय में सरगुजा प्रखंड के निर्माण हेतु रूपये 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। **''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' नवीन योजना हेतु रूपये 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।**

9.13 **पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये डोंगरगढ़ में रिसार्ट के निर्माण हेतु 20 लाख, कुदरगढ़ में रोप–वे हेतु 2 करोड़ तथा दामाखेड़ा के अधोसंरचना विकास हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है।** *ट्रायबल टूरिज्म सर्किट* हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

9.14 योग आयोग के माध्यम से योग प्रशिक्षण हेतु 25 लाख तथा सामग्री हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

## 10. ग्रामीण विकास

10.1 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट में 9 हजार 222 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.2 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ में मार्च 2019 तक 6 लाख 88 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 4 लाख 38 हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत कर 2 लाख 37 हजार आवास निर्मित किये जा चुके हैं। **योजना हेतु बजट में 2 हजार 354 करोड़ का प्रावधान है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन किया जायेगा। 3 हजार 427 करोड़ की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जायेगी।**

10.3 दिसंबर 2017 तक हमारी 10 हजार 587 ग्राम पंचायतें, तथा 135 विकासखंड *ओ.डी. एफ* हो चुके हैं। **छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य निर्धारित राष्ट्रीय समयसीमा के डेढ़ वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया जायेगा।** इस योजना हेतु 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

10.4 **राज्य के 85 विकासखण्डों में ग्रामीण आजीविका मिशन संचालित है तथा आगामी वर्श में 28 नये विकासखण्डों में इसका विस्तार किया जायेगा। मिशन हेतु 300 करोड़ का प्रावधान है।**

10.5 **महात्मा गांधी नरेगा योजना 1 हजार 419 करोड का बजट प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी। 5 वर्ष व इससे अधिक अवधि वाले रोजगार सहायकों को 4 हजार 650 के स्थान पर 6 हजार प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से कम अवधि वाले रोजगार सहायकों को 5 हजार प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय दिया जायेगा। इससे 8 हजार 656 रोजगार सहायक लाभान्वित होंगे।**

10.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बजट में इस वर्ष 1 हजार 460 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्राम गौरव पथ के लिए 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

10.7 **स्थानीय विकास में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की महती भूमिका को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हेतु 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार एवं जिला पंचायत सदस्यों हेतु 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद अध्यक्षों का मानदेय 4 हजार 500 से बढ़ाकर 6 हजार, जनपद उपाध्यक्षों का 2 हजार 500 से बढ़ाकर 4 हजार एवं जनपद सदस्यों का 1 हजार 200 से बढ़ाकर 1 हजार 500 किया जायेगा।**

10.8 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए 47 करोड़ तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 360 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

## 11. पेयजल व्यवस्था

11.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 2 हजार 750 बसाहटों में हैण्डपंप, नलजल, अथवा स्पॉट सोर्स द्वारा स्वच्छ पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 184 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.2 ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत 6 हजार बसाहटों को नलकूप हैण्डपंप द्वारा समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़, सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत 146 सौर पम्पों से पाईप लाईन के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने व संधारण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान है।

## 12. अधोसंरचना

12.1 सेतु भारतम योजना अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर सभी लेवल क्रासिंग पर आर.ओ.बी. निर्माण की कार्यवाही होना है जिससे शीघ्र ही समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग लेबल क्रासिंग मुक्त हो जायेंगे।

12.2 प्रदेश के 124 ब्लाक मुख्यालय 7 मीटर चौड़ी सड़कों से जोड़े जा चुके हैं एवं शेष को शीघ्र ही जोड़ दिया जायेगा।

12.3 इस बजट में लोक निर्माण विभाग के लिये 7 हजार 187 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 4 हजार 20 करोड़ का प्रावधान है। रेल्वे ओवरब्रिज के लिए 120 करोड़, वृहद् पुलों के लिए 260 करोड़, राज्य मार्गों के निर्माण के लिए 181 करोड़ 54 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए 565 करोड़ का प्रावधान है। केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत् 200 करोड़ का प्रावधान है।

12.4 भवन निर्माण कार्यों के अंतर्गत बजट में 856 करोड़ 71 लाख का प्रावधान है। मुख्य कार्यों में दिल्ली, मुम्बई तथा पुरी में नये छत्तीसगढ़ भवन शामिल हैं।

12.5 ग्रामीण क्षेत्रों में सभी फीडरों के पृथक्कीकरण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत चार शहरों में भूमिगत केबल बिछाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग स्थापित कर विद्युत हानि को कम करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

## 13. शहरों के लिये

13.1 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 575 करोड़ का प्रावधान है जिससे सड़क सफाई, प्रकाश व्यवस्था जैसे मूलभूत कार्यो पर राशि व्यय की जाएगी। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु बीरगांव एवं धमतरी नगर निगम, मुंगेली नगर पालिका एवं 30 नगर पंचायतों में पाईप लाईन विस्तार कार्य के लिए कुल 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.2 नगरीय निकायों में उर्जा की बचत के दृष्टिकोण से मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु लगायी गई 3 लाख 19 हजार परंपरागत लाईटों को एलईडी लाईटों में परिवर्तन किया जा रहा है। इस वर्ष योजना में 14 करोड़ 59 लाख का प्रावधान है।

13.3 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 234 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.4 **मिशन अमृत अंतर्गत प्रदेश के 9 बड़े शहरों में 2200 करोड़ के निवेश से समस्त आवासों में पाईपलाईन द्वारा शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जायेगा और 3 लाख से अधिक नवीन नल कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे।** रायपुर, बीरगांव तथा भिलाई चरौदा की जीवनदायिनी खारून नदी में मिलने वाले नालों के प्रदूषित जल उपचार हेतु 331 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। अमृत मिशन अंतर्गत 231 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.5 **स्मार्ट सिटी योजना में भारत सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर एवं नया रायपुर स्मार्ट सिटी हेतु चयनित किये गये हैं।** इन शहरों हेतु योजना में 418 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.6 नया रायपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना, जन सुविधा विकास एवं अन्य निर्माण कार्यो के लिए 431 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.7 **औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु बजट में 9 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है जो खम्हरिया व परसिया (जिला मुंगेली), सियारपाली–महुवापाली (जिला रायगढ़), अभनपुर व बरतोरी–तिल्दा (जिला रायपुर), चिचपोल (जिला बलौदाबाजार भाटापारा), जी–जामगांव व भेन्ड्रा/ईरी (जिला धमतरी) तथा परसगढ़ी (जिला कोरिया) में स्थापित किये जायेंगे।**

13.8 राजनांदगांव, उरला, अंजनी पेण्ड्रा, बोरई तथा हथखोज (भिलाई) के औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य हेतु 7 करोड़ 44 लाख का प्रावधान है। संचालनालय उद्योग के अंतर्गत् संचालित सभी 26 औद्योगिक केन्द्रों के उन्नयन कार्यों के लिये 10 करोड़ का प्रावधान है।

13.9 उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिये इस बजट में उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु 38 करोड, औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु 105 करोड़, तथा *स्टार्ट अप* छत्तीसगढ़ योजना में 5 करोड़ का प्रावधान है।

13.10 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अंतर्गत कुल 414 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है।

## 14. सुशासन से जनसेवा

**14.1 कोटवारों को प्रदाय मानदेय को डेढ़ गुना करने एवं पटेलों को दी जाने वाली मानदेय राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 19 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया है।**

**14.2 राजस्व नक्शों संबंधी कार्यों में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के राजस्व नक्शों के जियो रिफ्रेंसिंग करने हेतु 74 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

14.3 प्रदेश में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व को पंचायतों एवं नगरीय निकायों को खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रदाय जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 199 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

14.4 ग्राम पंचायतों में सचिवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पंचायत सचिवों को उच्चतर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2400 दिया जायेगा। 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले पंचायत सचिवों को वर्तमान वेतनमान के साथ प्रतिमाह 1 हजार 500 की दर से विशेष भत्ता दिया जायेगा। इससे 10 हजार 971 पंचायत सचिव लाभान्वित होंगे।

14.5 **मानव–हाथी द्वंद को कम करने तथा जानमाल एवं संपत्ति की हानि को नियंत्रित करने हेतु 28 चलित हाथी दस्तों के गठन हेतु 5.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।** वनों की कार्य योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 1.56 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

14.6 प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2018–19 के बजट में 4 हजार 309 करोड़ 70 लाख का प्रावधान रखा गया है।

14.7 **राज्य में अत्यंत नक्सल प्रभावित 8 जिलों को अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 230 करोड़ का प्रावधान है। यह विशेष योजना केन्द्र सरकार द्वारा हमारे अनुरोध पर स्वीकृत की गई है जिसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।**

14.7 **इस वर्ष 3 नवीन थाने खम्हारडीह जिला रायपुर, सरगांव जिला मुंगेली एवं केरलापाल जिला सुकमा में स्थापित किये जायेंगे। 6 नवीन चौकीयों की स्थापना सेरीखेड़ी एवं डुमरतराई जिला रायपुर, पाटनखास जिला राजनांदगांव, चारभाठा जिला कबीरधाम, केन्दा जिला बिलासपुर तथा रघुनाथपुर जिला सरगुजा में की जायेगी। 3 चौकीयों, गिधपुरी तथा भठगांव जिला बलौदाबाजार एवं बैशाली नगर जिला दुर्ग का थानों में उन्न्यन किया जाएगा। यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के दृश्टिगत जिला महासमुंद एवं जांजगीर–चांपा सहित अन्य 5 जिलों के लिए यातायात थाने के लिए 225 पदों का सृजन किया जाएगा।**

14.8 **महिला अपराध के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु 6 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी।**

14.9 **गैर कानूनी चिटफंड एवं वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग के अधीन एक प्रकोश्ठ का गठन किया जाएगा।**

14.10 प्रदेश के सभी थानों को ऑनलाईन जोड़ने के साथ–साथ पुलिस के क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भोश 232 थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे की स्थापना की जा रही है।

14.11 आंतरिक सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ समन्वय किए जाने हेतु राज्य में विशेष ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया जाएगा।

14.12 **राज्य में अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन हेतु 17 जिलों में सी एवं डी श्रेणी के फायर स्टेशन की स्थापना की जाएगी।**

14.13 प्रदेश के जेलों के लिए 30 बैरक निर्माण एवं समस्त जेलों में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे की स्थापना के लिए 23 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है।

## 15. वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित अनुमान

15.1 राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 66 हजार 94 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 68 हजार 580 करोड़ है। व्यय का बजट अनुमान 76 हजार 32 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 78 हजार 623 करोड़ है।

15.2 राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान 3 हजार 188 करोड़ है।

15.3 बजट में सकल वित्तीय घाटा 9 हजार 647 करोड़ अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमान में यह बढ़कर 9 हजार 738 करोड़ होगा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.89 प्रतिशत है तथा निर्धारित सीमा के अंदर है।

## 16. वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान

16.1 वर्ष 2018–19 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियाँ 72 हजार 868 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता राशि 15 हजार 713

करोड़ शामिल है। राज्य का स्वयं का राजस्व 34 हजार 200 करोड़ है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.88 प्रतिशत अधिक है।

16.2 वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित सकल व्यय 87 हजार 463 करोड़ है। **सकल व्यय से ऋणों की अदायगी तथा पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 83 हजार 179 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 68 हजार 423 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय 14 हजार 454 करोड़ है। वर्ष 2018–19 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 17.4 प्रतिशत है।**

16.3 विकासात्मक व्यय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

16.4 वर्ष 2018–19 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 39 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 21 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

## 17. राजकोषीय स्थिति

17.1 इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 4 हजार 445 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।

17.2 **राज्य का सकल वित्तीय घाटा 9 हजार 997 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत एवं निर्धारित सीमा के अंदर है।**

17.3 **वर्ष 2018–19 हेतु कुल प्राप्तियों 83 हजार 96 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 83 हजार 179 करोड़ अनुमानित है।** इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 83 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 2017–18 के संभावित आधिक्य 243 करोड़ को शामिल करते हुए वर्ष 2018–19 का कुल बजटीय आधिक्य 160 करोड़ है।

## 18. कर प्रस्ताव

18.1 2018–19 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।

**परिशिष्ट 1**

## बजट एक नजर में

| स.क्र. | मद् | राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | कुल आय | 83,096 |
| 2 | कुल व्यय | 83,179 |
| 3 | राजकोषीय घाटा | 9,997 (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत ) |

## क्षेत्रवार व्यय

| | | |
|---|---|---|
| 1 | राजस्व व्यय | 68,423 (82 प्रतिशत) |
| 2 | पूंजीगत व्यय | 14,454 (18 प्रतिशत) |
| 3 | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय | 34 प्रतिशत |
| 4 | अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए व्यय | 12 प्रतिशत |
| 5 | सामाजिक क्षेत्र में व्यय | 39 प्रतिशत |
| 6 | आर्थिक क्षेत्र में व्यय | 40 प्रतिशत |

## सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव

| | |
|---|---|
| स्कूल शिक्षा | 14.8 प्रतिशत |
| अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास | 2.6 प्रतिशत |
| स्वास्थ्य | 5.6 प्रतिशत |
| महिला एवं बाल विकास | 2.3 प्रतिशत |

## आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव

| | |
|---|---|
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 5.7 प्रतिशत |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 11.0 प्रतिशत |
| लोक निर्माण | 8.6 प्रतिशत |
| सिंचाई | 4.0 प्रतिशत |

**परिशिष्ट 2**

## आर्थिक विकास दर

**आर्थिक सर्वेक्षण (2016–17) – अग्रिम अनुमान (स्थिर भाव पर)**

| | **छत्तीसगढ़** | **भारत** |
|---|---|---|
| **आर्थिक विकास दर** | 6.65 प्रतिशत | 6.5 प्रतिशत |
| **कृषि विकास दर** | 2.89 प्रतिशत | 2.13 प्रतिशत |
| **औद्योगिक विकास दर** | 5.84 प्रतिशत | 4.37 प्रतिशत |
| **सेवा क्षेत्र विकास दर** | 9.46 प्रतिशत | 8.28 प्रतिशत |
| **प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर)** | 92,035 (9.22 प्रतिशत की वृद्धि) | |

# एक रूपए का आना (पैसे में)

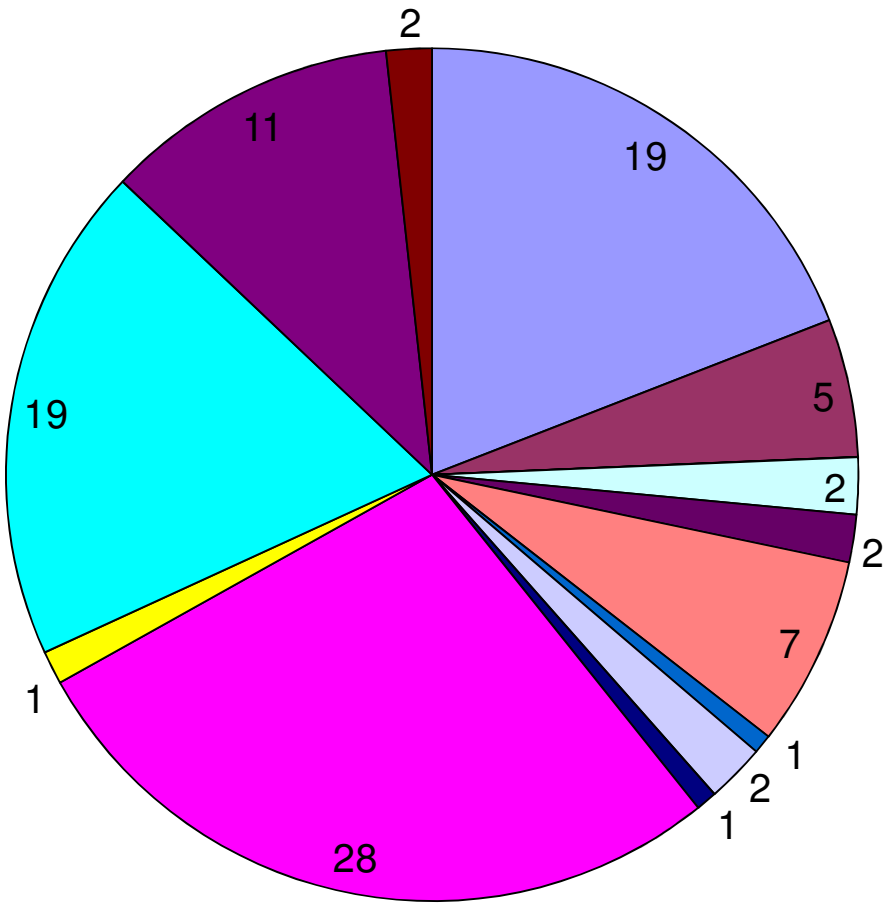


- वाणिज्यिक कर
- राज्य उत्पाद शुल्क
- प्रवेश कर
- स्टाम्प एवं पंजीयन
- वाहनों पर कर
- खनिज
- वानिकी
- विद्युत कर
- भू-राजस्व
- केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा
- सिंचाई
- केन्द्रीय सरकार से सहायता
- शुद्ध लोक ऋण
- अन्य

# एक रूपए का जाना (पैसे में)

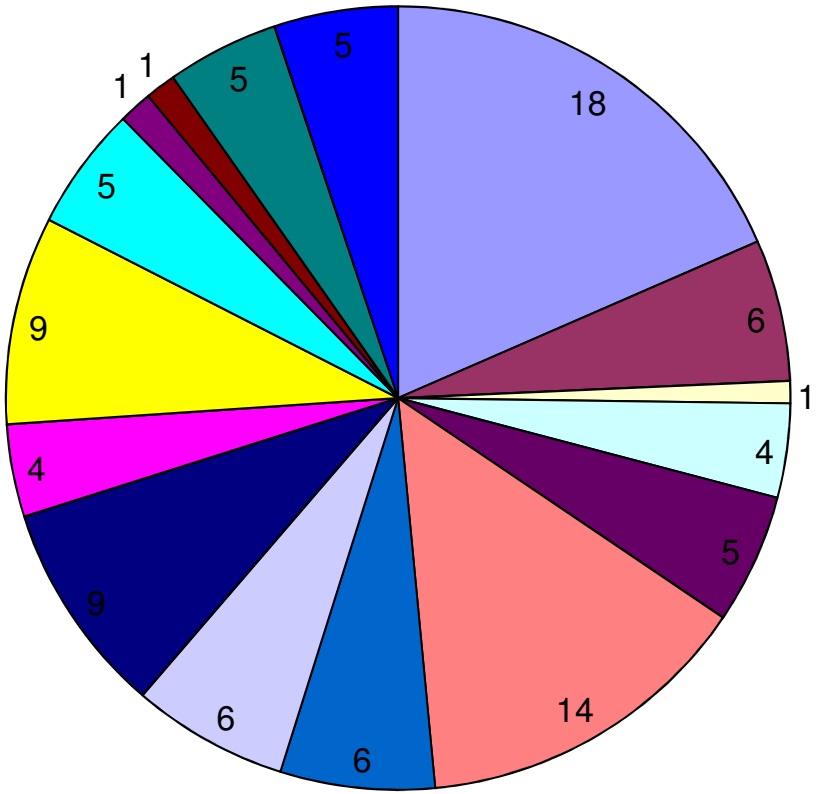


- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति
- स्वास्थ्य
- अ.जा / ज.जा. कल्याण
- सामाजिक कल्याण
- ग्रामीण विकास
- कृषि एवं संबद्ध सेवायें
- प्रशासनिक सेवायें
- पेंशन एवं विविध सेवायें
- जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास
- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
- सड़क एवं पुल
- ऊर्जा
- स्थानीय निकायों को अनुदान
- उद्योग व खनिज
- ब्याज संदाय
- अन्य

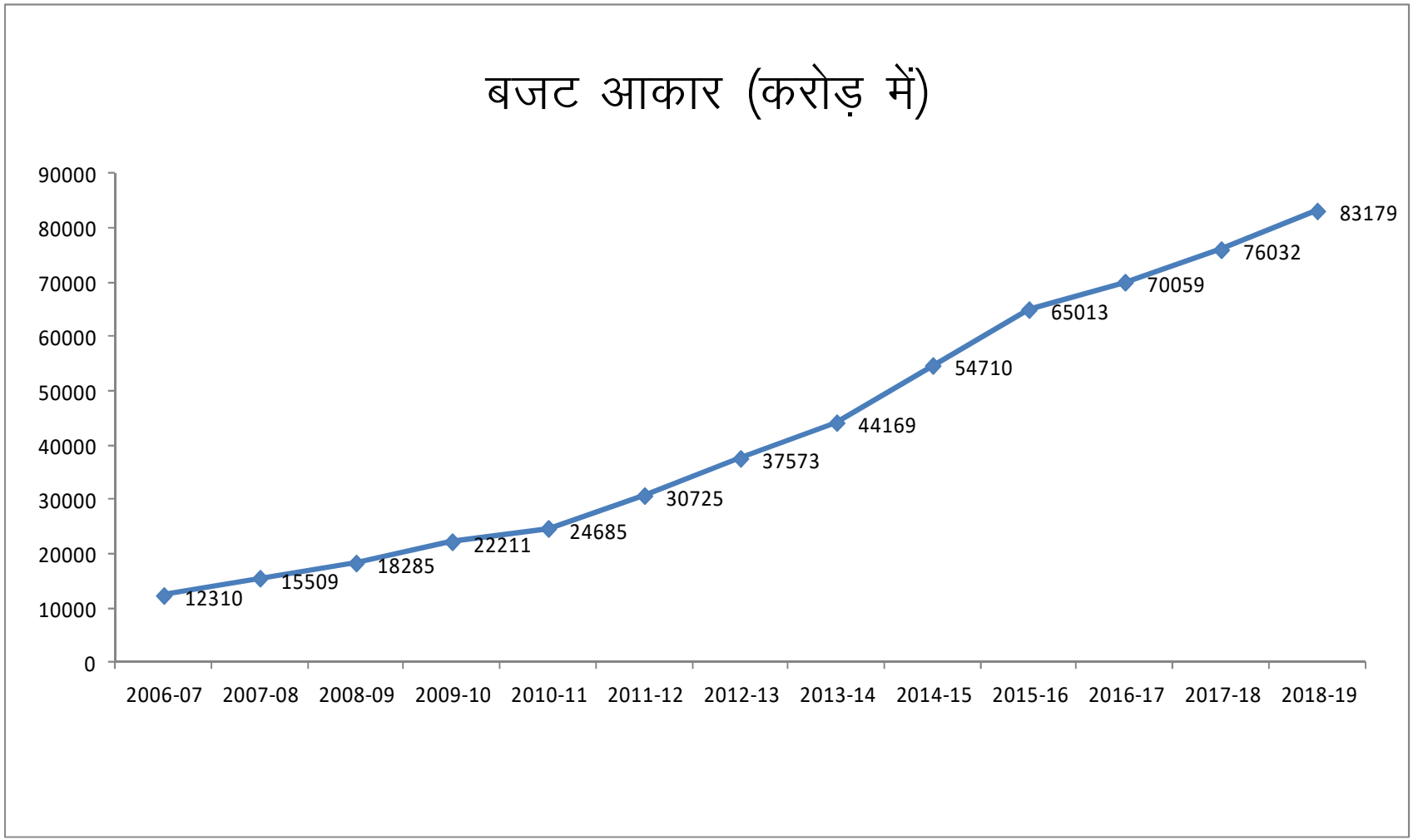
बजट आकार (करोड़ में)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
12310
15509
18285
22211
24685
30725
37573
44169
54710
65013
70059
76032
83179
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

# क्षेत्रवार बजट ( % )

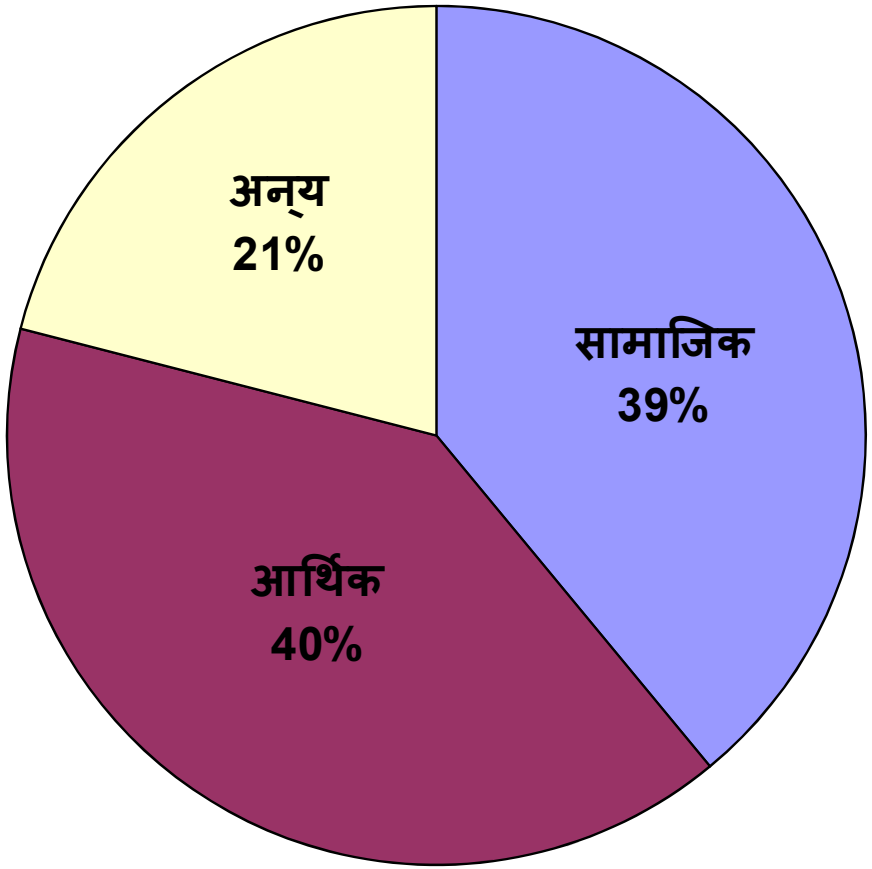

## राज्य का कर राजस्व (करोड़ रुपए में)